एक नजर में

दुष्कर्म पीड़िता व उसकी मां ने आत्मदाह की कोशिश की

ग्वालियर। आरोपितों की धमकी से परेशान दुष्कर्म पीड़िता और उसकी मां ने एसएसपी कार्यालय के बाहर गुरुवार को आत्मदाह की कोशिश की। दोनों ने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल लिया। आग लगाने से पहले पुलिसकर्मियों ने दोनों को रोक लिया। दुष्कर्म पीड़िता और मां का कहना है, जिस आरोपित ने दरिंदगी कर जीवन बर्बाद किया वह और उसके स्वजन रोज धमका रहे हैं। केस वापस नहीं लिया तो भाई को पीटते हैं। इस घटनाक्रम के बाद पीड़िता और मां को बहोड़ापुर थाने भिजवाया गया। आरोपितों पर एफआइआर दर्ज की गई। एक आरोपित को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

चाइनीज लोन एप की वसूली के लिए ब्लैकमेल करने वाले गिरफ्तार

इंदौर। क्राइम ब्रांच ने ऐसे दो शातिरों को गिरफ्तार किया है जो चाइनीज लोन एप के लिए वसूली करते थे। आरोपित महिलाओं के फोटो एडिट कर अश्लील बना देते थे। फिर उनके परिचितों को भेजकर ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने गिरोह में शामिल दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के बदमाशों को चिह्नित किया है। क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों एक युवती की शिकायत पर अवैध वसूली का केस दर्ज किया था। मंगलवार को साइबर एक्सपर्ट ने सहरसा (बिहार) के सीपक और बरेली (उत्तर प्रदेश) के अमन को दिल्ली से गिरफ्तार किया।

बाइक चोर गिरोह पकड़ाया 40 बाइक बरामद

धार। बाग पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के चार सदस्यों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपितों के कब्जे से जंगलों में रखी गुजरात सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से चुराई गई महंगी 40 बाइकें जब्त की गई। जब्त बाइक की कीमत 25 लाख रुपये आंकी गई है। पकड़े गए चार आरोपितों में तीन बाग थाना क्षेत्र के ग्राम मगरदा व एक आरोपित झाबुआ निवासी बताया गया है। -नप्र

चुनाव से पहले आदिवासियों के घर-घर पहुंचेगी कांग्रेस

तैयारी ● सामाजिक एकता, आरक्षण, रोजगार की गारंटी पर होगी बात

वैभव श्रीधर, भोपाल।

विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस अनुसूचित जाति-जनजाति के मतदाताओं को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल, दोनों ही दल जानते हैं कि सत्ता की चाबी इन्हीं वर्गों के हाथ में है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेसा का नियम लागू करके लंबे समय से चली आ रही आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाने की मांग को पूरा किया और इसका व्यापक प्रचार भी किया। अब कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती है। पार्टी ने आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले आदिवासियों को एकजुट करने की रूपरेखा तैयार की है। इसमें विचार सम्मेलन कर आदिवासियों को वोट की ताकत का अहसास कराया ही जाएगा। सामाजिक एकता, आरक्षण, रोजगार की गारंटी, जल, जंगल और जमीन के अधिकार पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही कार्यकर्ता घर-घर जाकर आदिवासियों को भाजपा सरकार द्वारा किए गए अन्याय के बारे में बताएंगे।

प्रदेश में यूं तो 47 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति और 35 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं पर इन वर्गों का प्रभाव अनारक्षित सीटों पर भी कम नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि 122 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां आदिवासी निर्णायक भूमिका में हैं। कमोबेस यही स्थिति अनुसूचित जाति के मतदाताओं को लेकर भी है। यही कारण है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों इन वर्गों को साधने में जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने अपनी आदिवासी इकाई को सक्रिय करने के साथ आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले सक्रियता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका बड़ा कारण यह भी है कि जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन (जयस) जैसे कई संगठन आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पिछले चुनाव यानी 2018 में जयस ने कांग्रेस को समर्थन दिया था और मालवा-निमाड़ क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी बड़ी संख्या में जीते थे। यही कारण है कि भाजपा भी सतर्क है और सरकार ने आदिवासियों के हित में कई कदम भी उठाए हैं। आदिवासी परिषद की युवा इकाई के प्रांताध्यक्ष नरेंद्र सिंह सैयाम का कहना है कि स्थानीय स्तर पर आदिवासियों के लिए काम करने वाले कई संगठन चुनाव की दृष्टि से काम कर रहे हैं। आदिवासी वोट का बिखराव हमें नुकसान पहुंचाता है और इसका लाभ भाजपा उठाती है। नौ जून से विचार सम्मेलन की शुरुआत होगी।

आज तीखे रहेंगे गर्मी के तेवर कल से फिर वर्षा के आसार

भोपाल (नप्र)। हवाओं का रुख बदलने से गुरुवार को प्रदेश में तपिश बढ़ गई। सबसे अधिक 43 डिग्री सेल्सियस तापमान खरगोन में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक नौतपा के अंतिम दिन शुक्रवार को तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार भी जा सकता है। हालांकि शनिवार से प्रदेश में एक बार फिर कहीं-कहीं वर्षा होने के आसार हैं। उधर गुरुवार से मानसून का सीजन भी शुरू हो गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान पर हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है।

प्रदेश में सबसे अधिक 43 डिग्री तापमान खरगोन में दर्ज

उसके प्रभाव से पंजाब के ऊपर एक प्रेरित चक्रवात बना हुआ है। इसके अतिरिक्त दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञान अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में हवा का रुख दक्षिण-पश्चिमी से बदलकर पश्चिमी, उत्तरी-पश्चिमी हो गया है। इससे हवाओं के साथ नमी आने का सिलसिला थम गया है। इस वजह से बादल छंट गए। तीखी धूप निकलने के कारण राजधानी सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में गुरुवार को तापमान में बढ़ोतरी हुई।

मप्र पर्यटन की 12 यूनिटों ने जीता अंतरराष्ट्रीय अवार्ड

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। विश्व विख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्था 'ट्रिप एडवाइजर' यूएस (यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका) के ट्रैवलर्स च्वाइस अवार्ड-2023 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रैवलर्स च्वाइस अवार्ड जीता है। निगम के प्रबंध संचालक कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पलाश रेसीडेंसी भोपाल, बघीरा जंगल रिसार्ट मोचा, बायसन रिसार्ट मढ़ई, कलचुरी रेसीडेंसी जबलपुर, राक एंड मनोर पचमढ़ी, चंपक बंगलो पचमढ़ी, ग्लेन व्यू पचमढ़ी, होटल अमलतास पचमढ़ी, शीशमहल ओरछा, ह्वाइट टाइगर फारेस्ट लाज़ बांधवगढ़ एवं तानसेन रेसीडेंसी ग्वालियर को अवार्ड मिला है। वहीं निगम की ओरछा स्थित इकाई बेतवा रिट्रीट ने संस्था का 'बेस्ट आफ बेस्ट' अवार्ड 2023 जीता है।

भाजपा अभियान के बहाने बताएगी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने पर प्रदेश भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के तहत पार्टी ने आदिवासी बहुल सीटों के लिए अलग से रणनीति तैयार की है, बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारी, अर्द्धपन्ना प्रभारी सहित अन्य कार्यकर्ता घर-घर संपर्क कर प्रत्येक मतदाता तक पहुंचेंगे और डबल इंजन की सरकार (मोदी और शिवराज सरकार) की उपलब्धियां गिनाएंगे। साथ ही समझाएंगे कि आजादी के बाद से 70 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, पर आपके जीवन में बदलाव लाने वाली भाजपा ही है। प्रधानमंत्री आवास सहित केंद्र और राज्य की अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को यह अहसास भी कराया जाएगा कि उनके हित में भाजपा ने ही काम किया है। पेसा नियम लागू करने, मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना या अन्य माध्यम से आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयास किए गए हैं। प्रदेश में छह महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश का ट्रेंड रहा है कि यहां जिसने आदिवासी वोट बैंक को साध लिया, उसकी सरकार बनती है।

राहुल की बात का मध्य प्रदेश में कोई भरोसा नहीं करेगा : विजयवर्गीय

धार (नप्र)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने धार में गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की बात का मध्य प्रदेश में कोई विश्वास नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ। प्रदेश में 15 माह कमल नाथ मुख्यमंत्री रहे। बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने के लिए कहा था, किसी को भी भत्ता नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य देश, समाज और लोगों की सेवा करना है। भाजपा पूर्ति के लिए राजनीति नहीं करती है।

तारीख बीती, जारी नहीं हुए आवेदन फार्म, 10 हजार अभ्यर्थी कर रहे इंतजार

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-2021

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-2021 में देरी होने को लेकर अभ्यर्थियों के मन में संदेह गहराने लगा है। बीते परीक्षाओं के नतीजों पर उलझन पहले से बनी हुई है। मप्र लोकसेवा आयोग (पीएससी) ने घोषणा की थी कि 30 मई से परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन उपलब्ध होंगे। 21 दिन आवेदन जमा करने का मौका देने के बाद जुलाई में परीक्षा करवाने का एडवांस कैलेंडर भी जारी कर दिया गया था। पूर्व की घोषणाओं के उलट मप्र लोकसेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए अब तक आवेदन फार्म ही जारी नहीं किया है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जुलाई में परीक्षा हो सकेगी?

मप्र लोकसेवा आयोग ने राज्यसेवा परीक्षा-2021 में कुल 290 पद घोषित किए हैं। 19 जून 2022 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करवाई थी। 20 अक्टूबर 2022 को राज्यसेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया था। आरक्षण विवाद के कारण 87 प्रतिशत की मुख्य सूची और 13-13 प्रतिशत की दो प्रावधिक सूची जारी की गई थी। मुख्य सूची में 6509 और प्रावधिक सूची में 4002 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। इन उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आनलाइन आवेदन फार्म जमा करना है। 9 मई को पीएससी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर घोषणा की थी कि 30 मई से 20 जून तक आवेदन फार्म दाखिल किए जा सकेंगे। इसके साथ ही एडवांस कैलेंडर घोषित करते हुए 17 जुलाई से 22 जुलाई तक मुख्य परीक्षा आयोजित करवाने की घोषणा भी की थी। अभ्यर्थियों को संदेह है कि कानूनी दांव-पेच और प्रक्रियाओं में पीएससी उलझा हुआ है। ऐसे में कही राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-2021 में भी देरी नहीं हो जाए। दरअसल, इससे पहले राज्यसेवा परीक्षा 2019 और राज्यसेवा 2020 में अंतिम दौर की प्रक्रिया और नतीजें कानूनी उलझनों के चक्कर में अभी अटके हुए हैं।

> मुख्य परीक्षा को लेकर संशय नहीं होना चाहिए, आयोग सभी प्रक्रिया समय पर ही पूर्ण करवाने के लिए तत्पर है।
>
> **-रवींद्र पंचभाई**, ओएसडी, मप्र

भोपाल के इतिहास पर केंद्रित शोध संस्थान होगा स्थापित : शिवराज

भोपाल (नप्र)। अगले वर्ष से भोपाल गौरव दिवस पर एक जून को भोपाल में अवकाश रहेगा। आने वाली पीढ़ी भोपाल के इतिहास को जान सके, इस उद्देश्य से भोपाल के इतिहास पर केंद्रित शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को भोपाल गौरव दिवस पर की। उन्होंने भोपाल गेट पहुंचकर तिरंगा फहराया। वहीं, बलिदानियों को याद कर सफाई मित्रों का सम्मान किया। उन्होंने भोपाल विलीनीकरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि असंख्य लोगों के बलिदान और वीर सपूतों के संघर्ष के परिणामस्वरूप देश की स्वतंत्रता के दो साल बाद एक जून 1949 को भोपाल भारत का अभिन्न अंग बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को यह नहीं मालूम कि 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के साथ भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था। नवाब ने भोपाल के भारत में विलय से इंकार कर दिया था। इस स्थिति में भोपाल में विलीनीकरण आंदोलन आरंभ हुआ।

जंगल में बढ़े चीते तो अत्याधुनिक होने लगी निगरानी प्रणाली

वरुण शर्मा, ग्वालियर।

कूनो नेशनल पार्क के जंगल में चीतों के संख्या बढ़ी तो प्रबंधन ने निगरानी प्रणाली को अत्याधुनिक करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले चीता ट्रैकिंग टीम को तकनीक में अपडेट किया गया है। टीम को पेट्रोलिंग साफ्टवेयर से लैस मोबाइल दिए गए हैं। इसमें ट्रैकिंग साफ्टवेयर है, जिससे टीम अलग-अलग लोकेशन के फोटो शेयर करती है। प्रत्येक टीम 12-12 घंटे चीतों की ट्रैकिंग कर सात दिन का डाटा वरिष्ठ कार्यालय को भेजती है। इसी से चीतों मूवमेंट को लेकर विश्लेषण किया जा रहा है। नरसिंहपुर से अत्याधुनिक रेस्क्यू वाहन भी मंगवाया गया है। इसमें केज से लेकर कई सुविधाएं हैं।

कूनो पालपुर नेशनल पार्क के खुले जंगल में सात चीते छोड़े जा चुके हैं। इन चीतों की निगरानी के लिए चीता ट्रैकिंग टीमें नियुक्त हैं, जो चीतो के गले में लगी कालर आइडी के जरिये उनकी ट्रैकिंग करती हैं। वर्तमान में दो चीते पालपुर कूनो की ओर हैं। एक मोरावन क्षेत्र में है। मादा चीता आशा माधव नेशनल पार्क की ओर है। वहीं बचे हुए पालपुर पश्चिम की ओर घूम रहे हैं।

साफ्टवेयर में सात किमी का बनता है ट्रैक: कूनो नेशनल पार्क में चीता ट्रैकिंग टीम को, जो पेट्रोलिंग साफ्टवेयर के नए मोबाइल दिए गए हैं उसमें सात किमी का ट्रैक बनता है। इसके आधार पर टीम काम करती है। यह ट्रैक पूरा होते ही दूसरा ट्रैक बन जाता है। अलग-अलग लोकेशन पर फोटो लेने होते हैं, जो क्वार्डिनेट एप में दर्ज हो जाते हैं। सात-सात दिन का डाटा पहले रेंज आफिस पहुंचाया जाता है।

डूब क्षेत्र की अनाधिकृत बसाहटों को मानसून पूर्व किया जाएगा स्थानांतरित

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश में बाढ़ के दौरान होने वाली क्षति की रोकथाम के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने गुरुवार को सभी प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन विभाग डूब क्षेत्र की अनाधिकृत बसाहटों को मानसून पूर्व स्थानांतरित करेगा। बांधों से पानी छोड़ने के पहले संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को सूचना दी जाएगी ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने। बैठक में राजस्व विभाग ने बताया कि वह संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन, बाढ़ के मुख्य कारण, जन-जागृति अभियान, नोडल अधिकारियों का नामांकन, आपदा नियंत्रण केंद्र स्थापित करने का काम करेगा। आपदा प्रबंधन के लिए गृह विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। बचाव एवं राहत कार्य की स्थिति में सेना से समन्वय, पुलिस एवं होमगार्ड के जवानों को बाढ़ बचाव से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण देने का दायित्व विभाग का रहेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का दायित्व निचले स्थानों की पहचान, अतिवर्षा के कारण नदी-नाले उफान पर होने की स्थिति में सूचना कंट्रोल रूम को देने और निचले स्थानों पर रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलों पर यातायात नियंत्रण के लिए बेरियर लगाने और खतरनाक स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगाना का कार्य किया जाएगा।

मुख्य सचिव बैंस ने बाढ़ से निपटने के लिए विभागों की तैयारियों को लेकर की समीक्षा

जेलों में कैंटीन शुरू करेगी सरकार

जेलों में क्षमता से अधिक बंदी

	बंदी क्षमता	बंदी संख्या
पुरुष	27,799	44,673
महिला	1,916	1,939
कुल	29,715	46,613

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश की जेलों में राज्य सरकार कैंटीन शुरू करेगी। जेल विभाग इसका मसौदा तैयार कर रहा है। केवल जेल स्टाफ के लिए ही कैंटीन की सुविधा उपलब्ध होगी। बंदियों को कैंटीन की सुविधा दी जाए या नहीं इस पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में केवल केंद्रीय जेल इंदौर में कैंटीन की सुविधा है। लेकिन यहां बंदियों को कैंटीन की सुविधा नहीं दी जाती है। पहले चरण में प्रदेश की केंद्रीय जेलों में कैंटीन सुविधा शुरू करने की तैयारी है। मुख्यालय स्तर पर इसकी कवायद शुरू हो गई है।

सात साल पहले केंद्रीय जेल भोपाल में बंदियों द्वारा विभिन्न प्रकार के पकवान बनवाए जाते थे और इसे जेल मुख्यालय के समीप बनी दुकानों में आम लोगों को विक्रय के लिए भी उपलब्ध कराया जाता था। इनमें पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी सहित अन्य भारतीय व्यंजन शामिल थे। यह पकवान जेल में बंदियों द्वारा ही तैयार किए जाते थे और बंदियों द्वारा ही इसका दुकान से विक्रय किया जाता था। वर्तमान में यह व्यवस्था बंद है।

जेल	संख्या	बंदी आवास क्षमता	परिरुद्ध बंदी	बच्चे
केंद्रीय जेल	11	14604	24343	75
जिला जेल	41	9672	14838	66
खुली जेल	7	118	68	0
सब जेल	73	5321	7364	1
कुल	132	29715	46613	142

कार्यालय कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) म.प्र.पू.
क्षे.वि.वि.कं.लि. संभाग पवई

क्र./कार्य.अभि./पवई/सामा./289 पवई दिनांक 01.06.23

बिजली बिल की शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु विशेष अभियान 01 जून से 07 जून तक

उपभोक्ता शिकायत संतुष्टि में वृद्धि के लिये बिल संबंधी शिकायतों के समय से निराकरण हेतु बिजली विभाग द्वारा 01 जून से 07 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कार्यपालन अभियंता संभाग पवई श्री संजीव कुमार सोनी जी ने बताया कि समस्त सम्माननीय उपभोक्ताओं वितरण केन्द्र स्तर पर होने वाले कैम्प आयोजन में अपनी शिकायत दर्ज कर शिकायत का त्वरित निराकरण करवा सकते है। ये कैम्प वितरण केन्द्र स्तर पर जून के प्रथम सप्ताह में 07 जून तक आयोजित किये जावेंगे।

कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. संभाग पवई

पश्चिम मध्य रेल्वे
शुद्धिपत्र संख्या 05/2023

निविदा सं. 40232744A जिसके खुलने की तिथि 16.06.2023 है, जोकि इस कार्यालय की निविदा नोटिस सं. EPS/21/2023 के तहत प्रकाशित की गई थी, इसमें निम्नलिखित संशोधन किए गए है - Tender No. & Short Description: 70AH, 110V Valve Regulated Lead Acid. Quantity From: 166 Set, To: 266 Set. अद्यतन एवं पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाईट: https: www.ireps.gov.in देखें।

कृते प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक
पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर

कोरोना को हराना है, तो टीका लगवाना है

कार्यालय थाना प्रभारी थाना धूमा जिला सिवनी म.प्र.

क्रमांक/था.प्र./धूमा/198 (ए)/ 2023 दिनांक 30.05.2023

आम इस्तेहार

आम जनता को सूचित किया जाता है कि थाना धूमा जिला सिवनी का इस्तगासा क्र. 01/2023 धारा 25 पुलिस अधिनियम मे जप्तशुदा दो पहिया, चार पहिया वाहन विभिन्न कम्पनियों के 29 नग मोटर साईकल क्षतिग्रस्त जर्जर एवं कबाड़ हालत मे तथा 6 चार पहिया वाहन विभिन्न कम्पनियों के क्षतिग्रस्त जर्जर एवं कबाड़ स्थिति मे धूप बरसात, खुले आसमान के नीचे थाना प्रांगण धूमा जिला सिवनी में खड़े हुये हैं। उक्त जप्तशुदा वाहनों कुल 35 नग धारा 25 पुलिस अधिनियम के स्वामित्व धारकों को आम इस्तेहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 10/06/2023 तक पुलिस थाना धूमा में निम्नवत सूची के जप्त वाहनों को मूल दस्तावेज सहित उपस्थित होकर अपना स्वामित्व प्रस्तुत करे। नियत तिथी तक उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 11/06/2023 के बाद उक्त जप्त वाहनों की नीलामी निस्पादन की जावेगी। नियत दिनांक के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
संलग्न : जप्तशुदा वाहनों की सूची।

थाना प्रभारी
जी-13949/23 जिला - सिवनी (म.प्र)

सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जबलपुर (म.प्र.)

आवश्यकता है

बी.एड. संकाय में निम्न पदों हेतु कॉलेज कोड 28 के अंतर्गत इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों (02 कॉपी में पासपोर्ट फोटो 02) के साथ 15 दिवस के अंदर कार्यालय में संपर्क करें।

क्र.	पद विवरण	संख्या	योग्यता एवं अनुभव
1	प्राचार्य	01	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्राचार्य पद हेतु मापदण्डपूर्ण करने की स्थिति में प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। (पी.एच.डी. अनिवार्य)
2	सहायक प्राध्यापक		
	1. भौतिक/गणित शास्त्र	01	स्नातकोत्तर उपाधि भौतिक एवं एम.एड 55%
	2. गृह विज्ञान	01	स्नातकोत्तर उपाधि गृह विज्ञान एवं एम.एड.55%
	3. जीव विज्ञान/रसायन शास्त्र	01	स्नातकोत्तर उपाधि जीव विज्ञान/रसायन शास्त्र एवं एम.एड. 55%
	4. आर्ट एण्ड क्राफ्ट	01	स्नातकोत्तर उपाधि आर्ट एण्ड क्राफ्ट
	5. कामर्स	01	स्नातकोत्तर उपाधि कामर्स एवं एम.एड. 55%
	6. अंग्रेजी	01	स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी एवं एम.एड. 55%
	7. संस्कृत	01	स्नातकोत्तर उपाधि संस्कृत एवं एम.एड. 55%
	8. अर्थशास्त्र	01	स्नातकोत्तर उपाधि अर्थशास्त्र एवं एम.एड. 55%

नोट- उपरोक्त पदों के लिये चयन UGC/NCTE कि नियमों के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में आरक्षण UGC/NCTE एवं म.प्र. शासन के नियमों का पालन अनिवार्य रूप के किया जायेगा।
कार्यालय- सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, कृष्णी सीनियर सेकेण्डरी स्कूल दमोहनाका जबलपुर।
Email Id-chirmanoffice@global.org.in मो.नं. 9407337956, 9993652514

कार्यालय सम्भागीय अधिकारी,
सम्भाग क्रमांक-13, नगर निगम जबलपुर
पत्र क्रं./संभा.अधि./13/मुख्यालय/2023/24/एम/59, दिनांक 29.05.2023

भवन नामांतरण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती डॉ. उषा गुप्ता पति स्व. श्री डॉ. डी.के. गुप्ता मकान नं.-101 वार्ड सुभद्रा कुमारी चौहान भूतल 1720 व.फु. मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयतनामा, न्याया. आदेश की प्रति के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त मकान नं. पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया है। जिस किसी को भी उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय सम्भाग क्रमांक-13, मुख्यालय में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

राजस्व निरीक्षक
सम्भाग क्र.-13 मुख्यालय
नगर निगम जबलपुर

कार्यालय सम्भागीय अधिकारी,
सम्भाग क्रमांक-13, नगर निगम जबलपुर
पत्र क्रं./संभा.अधि./13/मुख्यालय/2023/24/एम/63, दिनांक 31.05.2023

भवन नामांतरण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कपिल गोयल पिता स्व. श्री सत्यप्रिय गोयल मकान नं.-282 से 284 का भाग वार्ड स्वामी दयानंद सरस्वती चौहान क्षेत्रफल खुली भूमि-2189 व.फु. शपथपत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयतनामा, खसरे की नकल के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त मकान नं. पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया है। जिस किसी को भी उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय सम्भाग क्रमांक-13, मुख्यालय में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

राजस्व निरीक्षक
सम्भाग क्र.-13 मुख्यालय
नगर निगम जबलपुर

कार्यालय सम्भागीय अधिकारी,
सम्भाग क्रमांक-13, नगर निगम जबलपुर
पत्र क्रं./संभा.अधि./13/मुख्यालय/2023/24/एम/59, दिनांक 29.05.2023

भवन नामांतरण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती डॉ. उषा गुप्ता पति स्व. श्री डॉ. डी.के. गुप्ता मकान नं.-102 वार्ड सुभद्रा कुमारी चौहान भूतल 1720 व.फु. मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयतनामा, न्याया. आदेश की प्रति के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त मकान नं. पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया है। जिस किसी को भी उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय सम्भाग क्रमांक-13, मुख्यालय में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

राजस्व निरीक्षक
सम्भाग क्र.-13 मुख्यालय
नगर निगम जबलपुर

कार्यालय सम्भागीय अधिकारी,
सम्भाग क्रमांक-13, नगर निगम जबलपुर
पत्र क्रं./संभा.अधि./13/मुख्यालय/2023/24/एम/59, दिनांक 29.05.2023

भवन नामांतरण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती डॉ. उषा गुप्ता पति स्व. श्री डॉ. डी.के. गुप्ता मकान नं.-98 वार्ड सुभद्रा कुमारी चौहान भूतल 923 व.फु. प्रथम तल 923 व.फु. मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयतनामा, न्याया. आदेश की प्रति के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त मकान नं. पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया है। जिस किसी को भी उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय सम्भाग क्रमांक-13, मुख्यालय में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

राजस्व निरीक्षक
सम्भाग क्र.-13 मुख्यालय
नगर निगम जबलपुर

कार्यालय सम्भागीय अधिकारी,
सम्भाग क्रमांक-13, नगर निगम जबलपुर
पत्र क्रं./संभा.अधि./13/मुख्यालय/2023/24/एम/61, दिनांक 31.05.2023

भवन नामांतरण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुमिता पाण्डेय पति श्री अतुल पाण्डेय मकान नं.-934/SF-203 वार्ड सुभद्रा कुमारी चौहान द्वितीय तल 925 व.फु. विक्रय पत्र के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त मकान नं. पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया है। जिस किसी को भी उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय सम्भाग क्रमांक-13, मुख्यालय में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

राजस्व निरीक्षक
सम्भाग क्र.-13 मुख्यालय
नगर निगम जबलपुर

कार्यालय सम्भागीय अधिकारी,
सम्भाग क्रमांक-13, नगर निगम जबलपुर
पत्र क्रं./संभा.अधि./13/मुख्यालय/2023/24/एम/59, दिनांक 29.05.2023

भवन नामांतरण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती डॉ. उषा गुप्ता पति स्व. श्री डॉ. डी.के. गुप्ता मकान नं.-100 वार्ड सुभद्रा कुमारी चौहान भूतल 120+300 व.फु. प्रथम तल 420 व.फु. मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयतनामा, न्याया. आदेश की प्रति के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त मकान नं. पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया है। जिस किसी को भी उक्त नामांतरण पर आपत्ति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय सम्भाग क्रमांक-13, मुख्यालय में प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें।

राजस्व निरीक्षक
सम्भाग क्र.-13 मुख्यालय
नगर निगम जबलपुर

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस ई-नीलामी दि. 11/07/2023
क्षेत्रीय कार्यालय- साउथ एवेन्यू मॉल के सामने, ग्वारीघाट रोड, पोलीपाथर, जबलपुर (म.प्र.)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई- नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रतीकात्मक कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं उपचार रहित" के आधार पर निम्नलिखित देनदारी, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई- नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	ऋणखाता/ऋणी/प्रत्याभूति-दाता/जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग / बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण / कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य अग्रिम धरोहर जमा राशि बिड वृद्धि राशि
1	श्री मुकेश चौधरी पिता स्व. श्री कोमल चंद चौधरी संबंधित शाखा: विजय नगर	रु. 13,91,145/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	नं.ब. 660, पटवारी हल्का नं. 26/31, रा.नि.मं. जबलपुर-1, तहसील एवं जिला जबलपुर स्थित भूखण्ड प्लॉट नं. 624 स्तर क्र. 9, भूखण्ड क्र. 11/624, आवर्तन खसरा नं. 152/1, प्लॉट रकबा 30 बाई 50 यानि 1500 वर्गफुट यानि 139.40 वर्गमीटर, राष्ट्रीय गृह निर्माण समिति मर्यादित, त्रिपुरी नगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)। चतुर्सीमा- उत्तर- साइड रोड, दक्षिण- मुकेश चौधरी की संपत्ति, पूर्व- साइड रोड, पश्चिम- प्लॉट नं. 623, संपत्ति स्वामी/बंधककर्ता- 1) श्री मुकेश चौधरी पिता स्व. श्री कोमल चंद चौधरी, प्रतीकात्मक कब्जा।	रु. 35,85,500 रु. 3,58,550 रु. 20,000
2	1. श्री अमरदेव यादव पिता श्री रामाधर यादव, 2. श्रीमति शिखा यादव पति श्री अमरदेव यादव संबंधित शाखा: तिलवारा घाट	रु. 11,99,805/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	मौजा [illegible], नं.बं. 421, प.ह.नं. 33, रा.नि.मं. जबलपुर-1, खसरा नं. 109/4 का भाग, प्राईवेट प्लॉट नं. 58 का भाग, विक्रय रकबा 20 फुट बाई 40 फुट = 800 वर्गफुट, सड़क मुख्य मार्ग से अंदर त्रिपुरी वार्ड, विकास खंड व तहसील व जिला जबलपुर। सम्पत्ति स्वामी- श्री अमरदेव यादव पिता श्री रामाधर यादव (संपत्ति बंधककर्ता)। चतुर्सीमा- उत्तर- साइड रोड, दक्षिण- शरद चौहान की जमीन, पूर्व- प्लॉट नं. 58 का शेष भाग, पश्चिम- प्लॉट नं. 57, प्रतीकात्मक कब्जा।	रु. 22,50,000 रु. 2,25,000 रु. 10,000
3	श्री राम केसरी फार्म, श्री रामकृष्ण [illegible] पिता स्व. श्री द्वारका प्रसाद संबंधित शाखा: गोकलपुर	रु. 2,67,89,479/- + ब्याज + विधिक व्यय	मौजा खैरी, नं.बं. 670, प.ह.नं. 17, खसरा नं. 113/1 (पुराना)- 17/2 (नया), रा.नि.मं. महाराजपुर, तहसील व जिला जबलपुर, आवंटित क्षेत्रफल 27864 वर्गफुट। संपत्ति स्वामी- श्री रामकृष्ण [illegible] पिता स्व. श्री द्वारका प्रसाद। चतुर्सीमा- उत्तर- 20 फुट रोड, दक्षिण- रवि पटेल, पूर्व- विक्रेता, पश्चिम- अवस्थी जी की जमीन। भौतिक कब्जा।	रु. 1,22,40,000 रु. 12,24,000 रु. 50,000
4	श्री राजू खान पिता श्री मोहम्मद इब्राहिम खान (उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) श्रीमती [illegible] अंजुम पत्नी श्री राजू खान (उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) श्री [illegible] कुमार राठौर पिता श्री गौरी शंकर (गारंटीदाता) संबंधित शाखा: विजय नगर	रु. 41,64,163/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	डुप्लेक्स मौजा [illegible], नं.बं. 52, प.ह.नं. 22/25- नया 01, रा.नि.मं. जबलपुर-1, आवंटित भूमि खसरा नं. 98/1/क का कुल रकबा 2976.66 वर्गफुट (276.63 वर्गमीटर) में से विक्रय प्लॉट नं. 03 का कुल रकबा 18x65.5 = 1180 वर्गफुट (109.66 वर्गमीटर), चितरंजन दास वार्ड, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)। संपत्ति स्वामी- श्री राजू खान पिता श्री मोहम्मद इब्राहिम खान एवं श्रीमती [illegible] अंजुम पत्नी श्री राजू खान। चतुर्सीमा- उत्तर- विक्रेता की संपत्ति, दक्षिण- विक्रेता की संपत्ति, पूर्व- 20 फीट साइड रोड, पश्चिम- शैल कुमार दुबे, प्रतीकात्मक कब्जा।	रु. 37,40,000 रु. 3,74,000 रु. 20,000
5	मे. साई डिजाइन (प्रोप. श्री आशीष कुशवाहा पिता श्री साधुराम कुशवाहा) श्री सचिन राठौर पिता श्री दालचंद राठौर (गारंटीदाता) श्री संजय राठौर पिता श्री दालचंद राठौर (गारंटीदाता) संबंधित शाखा: विजय नगर	रु. 21,68,925/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	नजूल परमानेंट लीज ब्लॉक नं. 106, प्लॉट नं. 203/2 का भाग विक्रय प्लॉट एरिया 538 वर्गफुट, नगर निगम मकान नं. 669 नया- 462 पुराना, लोकमान्य तिलक वार्ड क्र. 16, जुड़ी तलैया, जबलपुर (म.प्र.)। संपत्ति/ भवन स्वामी- श्री सचिन राठौर पिता श्री दालचंद राठौर (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता)। चतुर्सीमा- उत्तर- श्रीमति शकुंतला एवं रत्ना राठौर का मकान, दक्षिण- विक्रेता की संपत्ति, पूर्व- रास्ता, पश्चिम- राजकुमारी राठौर का मकान, प्रतीकात्मक कब्जा।	रु. 18,43,000 रु. 1,84,300 रु. 10,000
6	मे. प्रसुक किड्स वियर (प्रोप. श्री प्रशांत जैन पुत्र श्री प्रभात जैन) श्रीमति संध्या जैन पत्नी श्री प्रभात कुमार जैन (गारंटीदाता) संबंधित शाखा: नेपियर टाउन	रु. 14,82,039/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	परमानेंट ब्लॉक नं. 106, प्लॉट नं. 78 का हिस्सा, आफ्टर म्यूटेशन 78/1, मकान क्र. 388 का हिस्सा (नया 443), खटीक मोहल्ला, सराफा वार्ड, जबलपुर (म.प्र.), एरिया 407 वर्गफुट। सम्पत्ति /भवन स्वामी- श्रीमति संध्या जैन पत्नी श्री प्रशांत कुमार जैन। चतुर्सीमा- उत्तर- मकान श्री बाबूलाल जैन, पूर्व- मकान श्रीमति शकुंतला जैन, दक्षिण- कॉमन पैसेज, पश्चिम- मकान श्रीमति सुगंधी बाई जैन व श्रीमति सुलोचना बाई जैन, प्रतीकात्मक कब्जा।	रु. 14,33,000 रु. 1,43,300 रु. 10,000
7	मोहम्मद इशफाक पुत्र श्री मोहम्मद इशाक (उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) संबंधित शाखा: नेपियर टाउन	रु. 36,00,757/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	मौजा खजरी, नं.बं.- 569, प.ह.नं. 24/81, रा.नि.मं. महाराजपुर, विकास खंड- पनागर, जिला- जबलपुर स्थित आवर्तन खसरा नं. 307/5, रकबा 3498 वर्गफुट में से विक्रय रकबा 2006 वर्गफुट। संपत्ति/ भवन स्वामी- मोहम्मद इशफाक पुत्र श्री मोहम्मद इशाक। चतुर्सीमा- उत्तर- 20 फुट साइड रोड, दक्षिण- एडवोकेट शाह की संपत्ति, पूर्व- 25 फुट साइड रोड, पश्चिम- विक्रेता की संपत्ति, प्रतीकात्मक कब्जा।	रु. 14,42,000 रु. 1,44,200 रु. 10,000
8	श्री अनवरुद्दीन पिता श्री महमूद अहमद (उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) संबंधित शाखा: जी.सी.एफ.	रु. 14,36,175/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	मौजा ग्राम गुरदा, नं.बं.- 900, प.ह.नं. 24 (पुराना) 81 (नया), नया वार्ड क्र. 74, खसरा नं. 81 का भाग में से यूनिट नं. ए-2 का रकबा 15x 50= 750 वर्गफुट, रा.नि.मं. महाराजपुर, विकास खंड पनागर, जिला जबलपुर। संपत्ति स्वामी/ बंधककर्ता- श्री अनवरुद्दीन पिता श्री महमूद अहमद। चतुर्सीमा- उत्तर- विक्रेता की संपत्ति, पूर्व- यूनिट नं. ए-1, दक्षिण- 20 फुट साइड रोड, पश्चिम- यूनिट नं. ए-3, प्रतीकात्मक कब्जा।	रु. 13,36,625 रु. 1,33,662 रु. 10,000
9	श्री अशफाक अहमद पिता श्री एजाज अहमद (उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) संबंधित शाखा: एन.आई.सी.आई.	रु. 17,49,222/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	मौजा गढ़ा, नं.बं. 599, प.ह.नं. 33, रा.नि.मं. जबलपुर-1, पटवारी व डायवर्सन खसरा नं. 301/6, 302/5, 303/5, 304/5, 305/6, 306/5, 307/5, 308/6, 309/6, 310/6 का कुल प्लॉट एरिया 3488 वर्गफुट में से विक्रय डुप्लेक्स क्र. 'बी' का क्षेत्रफल 750 वर्गफुट, गढ़ा वार्ड में चन्दन कॉलोनी में मुख्य मार्ग से अंदर, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.)। चतुर्सीमा- उत्तर- सोनी जी का मकान, पूर्व- विश्वकर्मा जी का मकान, दक्षिण- साइड रोड, पश्चिम- डुप्लेक्स नं. 'सी', प्रतीकात्मक कब्जा।	रु. 19,36,000 रु. 1,93,600 रु. 10,000
10	श्री अमित कुमार पटेल पिता श्री राज कुमार पटेल श्रीमति सोहद्रा पटेल पति श्री अमित कुमार पटेल (उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) संबंधित शाखा: एन.आई.सी.आई.	रु. 20,50,022/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	LIG- 709, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड, मदर टेरेसा नगर, मौजा मढ़ोताल, दीन दयाल उपाध्याय वार्ड, जबलपुर (म.प्र.), क्षेत्रफल- 81.84 वर्गमीटर (LIG- 709), संपत्ति/भवन स्वामी- श्री अमित कुमार पटेल पिता श्री राज कुमार पटेल एवं श्रीमति सोहद्रा पटेल पति श्री अमित कुमार पटेल। चतुर्सीमा- उत्तर- कॉलोनी रोड, पूर्व- कॉलोनी रोड, दक्षिण- Sr. LIG- 708, पश्चिम- Sr. LIG- 710, प्रतीकात्मक कब्जा।	रु. 14,45,000 रु. 1,44,500 रु. 10,000
			LIG- 710, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड, मदर टेरेसा नगर, मौजा मढ़ोताल, दीन दयाल उपाध्याय वार्ड, जबलपुर (म.प्र.), क्षेत्रफल- 78.30 वर्गमीटर (LIG- 710), संपत्ति/भवन स्वामी- श्री अमित कुमार पटेल पिता श्री राज कुमार पटेल एवं श्रीमति सोहद्रा पटेल पति श्री अमित कुमार पटेल। चतुर्सीमा- उत्तर- कॉलोनी रोड, पूर्व- Sr. LIG- 709, दक्षिण- Sr. LIG- 708, पश्चिम- Sr. LIG- 711, प्रतीकात्मक कब्जा।	रु. 13,99,000 रु. 1,39,900 रु. 10,000
11	मो. इरफान पिता श्री मो. सुलतान (उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) संबंधित शाखा: एन.आई.सी.आई.	रु. 16,51,834/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि एवं भवन: मौजा गढ़ा, नं.बं. 599, प.ह.नं. 33, पी.सी. 06, रा.नि.मं. जबलपुर-1, तहसील एवं जिला जबलपुर, पटवारी एवं डायवर्सन खसरा नं. 301/6, 302/5, 303/5, 304/5, 305/6, 307/5, 308/6, 309/6, 310/6 का कुल रकबा 3600 वर्गफुट में से विक्रय डुप्लेक्स क्र. सी., क्षेत्रफल 15x50 = कुल 750 वर्गफुट (69.70 वर्गमीटर) एवं उसपर निर्मित भवन। संपत्ति/ भवन स्वामी- मो. इरफान पिता श्री मो. सुलतान। चतुर्सीमा- उत्तर- सोनी जी का मकान, पूर्व- डुप्लेक्स नं. डी, दक्षिण- साइड रोड, पश्चिम- डुप्लेक्स नं. बी, प्रतीकात्मक कब्जा।	रु. 19,36,000 रु. 1,93,600 रु. 10,000
12	श्री मोहन सिंह पिता श्री चम्पा सिंह (उधारकर्ता/संपत्ति बंधककर्ता) श्रीमति रश्मि विश्वकर्मा पति श्री राकेश विश्वकर्मा (गारंटीदाता) श्री आशीष सिंह मरावी पिता श्री ज्ञान सिंह (गारंटीदाता) संबंधित शाखा: बिलहरी जबलपुर	रु. 28,38,347/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधक भूमि एवं भवन: मौजा- घाना, खसरा नं. 86/1 (पुराना) का भाग नामांतरण उपरांत खसरा नं. 86/35, प.ह.नं. 67 (पुराना) 14 (नया), नं.ब. 634, प्लॉट नं. 86/35, तहसील- पनागर, जिला- जबलपुर (म.प्र.) क्षेत्रफल- 2400 वर्गफुट (40 फुट बाई 60 फुट)। संपत्ति/ भवन स्वामी- श्री मोहन सिंह पिता श्री चम्पा सिंह। चतुर्सीमा- उत्तर- मुरारी बाबा का मकान एवं ओपन प्लॉट, पूर्व- कमलिया कर्मचारी प्लॉट, दक्षिण- साइड रोड कॉलोनी, पश्चिम- कुक्कुर का मकान, प्रतीकात्मक कब्जा।	रु. 23,00,000 रु. 2,30,000 रु. 10,000

विक्रय के नियमन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुमोदित सेवा प्रदाता मे. एमएसटीसी लिमिटेड के वेबपोर्टल http://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर उपलब्ध लिंक देखें। हेल्पलाइन नंबर 033-22901004 या क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर प्राधिकृत अधिकारी (मो. 8226014333) से संपर्क कर सकते हैं। ये संबंधित ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 01/06/2023, स्थान: जबलपुर (म.प्र.) कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

KIRAN MEDIA